राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

क्रमांकः प. 10 (746) परि/स.सु./सड़क दुर्घटना की तथ्यात्मक रिपोर्ट/2017 | 42085 दिनांकः– 22/8/17

कार्यालय आदेश 29/2017

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्रतिवर्ष लगभग 10,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है तथा लगभग 25,000 लोग घायल हो रहे हैं, जो अत्यन्त गम्भीर चिन्ता का विषय है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा भी इसे गम्भीरता से लेते हुए राज्य सरकार को राज्य में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण कर उनकी रोकथाम के उपाय सख्ती से लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। इस परिपेक्ष्य में परिवहन विभाग मुख्यालय में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ तथा जिला स्तर पर प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर घटित सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्ट मुख्यालय प्रेषित करने के लिए पूर्व में कार्यालय आदेश क्रमांक 15/95 दिनांक 31.05.95 द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। परन्तु प्रायः देखा गया है कि संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा उक्त आदेश के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्ट मुख्यालय नहीं भेजी जाती है, जो कि आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। अतः आदेश 15/95 की निरन्तरता में निम्न आदेश जारी किये जाते हैं :–

यदि किसी मोटर वाहन के कारण घटित सड़क दुर्घटना में तीन या उससे अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित जिला परिवहन अधिकारी एवं प्रभारी, जिला सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ आदेश क्रमांक 15/95 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में इस दुर्घटना के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट मय फोटोग्राफ तथा सम्बन्धित पुलिस थाने की रिपोर्ट अधिकतम 3 दिवस की अवधि के भीतर मुख्यालय स्थित सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के ई–मेल आई डी addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे।

साथ ही सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी द्वारा दुर्घटना में शामिल वाहनों के विरूद्ध परमिट/पंजीयन/फिटनेस/लाईसेंस इत्यादि के निलम्बन/निरस्तीकरण की नियमानुसार कार्यवाही की जाकर सूचना 30 दिवस की अधिकतम अवधि के भीतर आवश्यक रूप से उपायुक्त, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को उपरोक्त ई–मेल आई डी पर प्रेषित की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

42086-91

क्रमांकः प. 10 (746) परि/स.सु./सड़क दुर्घटना की तथ्यात्मक रिपोर्ट/2017/ दिनांकः– 22/8/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक (ट्रेफिक) पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

उप परिवहन आयुक्त (स.सु.)